कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 30/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020, दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 29.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा फौ0सं0-3838/2012 धारा-3/7 ई0सी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.07.2024 को उ0नि0 रामाश्रय कुशवाहा मय हमराह कर्म0गण द्वारा देखभाल क्षेत्र व गस्त तलाश वांछित/वारण्टी हेतु क्षेत्र में मामूर होकर मा0 न्यायालय से प्राप्त NBW वारण्ट के वारण्टी उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्याम बिहारी पाण्डेय नि0ग्रा0-सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष सम्बन्धित फौ0सं0-3838/2012 धारा-3/7 ई0सी0 एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी मिलने पर वारण्टी के घर ग्राम सुहवल पर दबिश दी गयी तो वारण्टी उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्याम बिहारी पाण्डेय उपरोक्त घर पर मौजूद मिली। वारण्टी उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्याम बिहारी पाण्डेय उपरोक्त से नाम पता पूछ कर तस्दीक किया गया ।नाम पता तस्दीक होने पर गैर जमानती वारण्टी उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्याम बिहारी पाण्डेय निवासी ग्राम सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को मा0न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारण्ट की प्रति दिखाकर उपरोक्त वारण्ट के तामिल हेतु कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 13.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जा रहा है ।

*** गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता- ***

01.उर्मिला पाण्डेय में उर्मिला पाण्डेय पत्नी श्याम बिहारी पाण्डेय नि0ग्रा0-सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर उम्र करीब 50 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक व समय - दिनांक 29.07.2024 समय 13.00 बजे

गिरफ्तारी का स्थान – अभियुक्ता का स्थायी पते पर नि0ग्रा0-सुहवल थाना सुहवल जनपद गाजीपुर ।

2. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 29.07.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बिरनो पर पंजीकृत मु0अ0सं0 407/2015 धारा 354A/323/325/504 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 01. धनन्जय राम पुत्र बाचू राम 02. नागेन्द्र राम पुत्र बाचू राम निवासीगण नसरतपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त धनन्जय राम उपरोक्त को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, अभियुक्त नागेन्द्र राम उपरोक्त को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, 504 भादवि में 06 माह का कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर